नरेगा अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग-3)

कमांकः-एफ-2(64)आरडी/नरेगा/09-10 जयपुर, दिनांक : 10.11.2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त(राजस्थान)।

विषयः- **सामाजिक अंकेक्षण उपरांत सामग्री कय में पाई गई अनियमितताओं से उत्पन्न विसंगतियों के निवारण के संबंध में मार्ग दर्शन बाबत।**

महोदय,

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा करवाये जा रहे सामाजिक अंकेक्षण में यह पाया गया है कि कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण सामग्री कय करने में जारी परिपत्र कमांक एफ-4(32)आरडी/आरई/एनआरईजीपी/ ग्रुप-3/07-08 दिनांक 18.6.07, कमांकः-एफ-2(22)आरडी/नरेगा/06-07 दिनांक 16.02.09 एवं कमांक एफ 2(64)ग्रावि/नरेगा/09 दिनांक 27.07.09 (तीनों पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न है), की पालना नहीं की गई है। सामाजिक अंकेक्षण में अनरजिस्टर्ड फर्मो से सामग्री कय किये जाने से पाई गई कमियों के कारण कई विसंगतियां उत्पन्न हो गई है। विसगंतियों के संबंध में राज्य सरकार को प्राप्त अभ्यावेदनों/ज्ञापनों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. ऐसे कार्य जिनका निर्माण दिनांक 31.8.09 से पूर्व पूर्ण हो चुका हो एवं नियमानुसार सामग्री कय की जाकर उपयोग किया जा चुका है, परन्तु सामग्री बिलों का भुगतान इस कारण नहीं हुआ है कि सामग्री की खरीद रजिस्टर्ड फर्म/ विकेता (RST/CST/TIN holder) से नहीं की गई है, ऐसे प्रकरणों में यह सुनिश्चित करके कि सामग्री बिल अनुसार पूर्ण मात्रा एवं गुणवत्ता अनुरूप वास्तविक रूप से प्राप्त की गई है एवं निर्माण कार्य में उपयोग ली गई है, भुगतान की कार्यवाही की जावे। ऐसे बिलों के संबंध में यह कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपरांत सामग्री के बिल ग्राम सेवक, सरपंच एवं संबंधित तकनीकी सहायक/ कनिष्ठ अभियंता प्रमाणित करके बिल को भुगतान हेतु संबंधित पंचायत समिति में प्रस्तुत कर, नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावें।

2. ऐसे कार्य जिन पर निर्माण सामग्री दिनांक 31.8.09 से पूर्व अनरजिस्टर्ड फर्म से क्रय करके उपयोग में लाई जा चुकी है एवं निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुए है एवं कार्य की पार्ट यू.सी. प्राप्त हो चुकी है, उनके साथ संलग्न सामग्री बिलों को भी बिन्दु संख्या-1 में अंकित प्रकिया अपनाते हुए प्रमाणित कर पंचायत समिति को प्रेषित किया जावे।
3. उक्त प्रमाणिकरण के पश्चात् पंचायत समिति में प्राप्त सामग्री बिलों का भुगतान संबंधित फर्म को पंचायत समिति द्वारा अकाउंट पेयी चैक (account payee cheque) के माध्यम से किया जायेगा। भुगतान करते समय बिल की राशि के अनुरूप देय कर की राशि (VAT) की कटौती निर्धारित कर दर, जो कि वाणिज्यिक कर विभाग की वैब साईट (rajtax.gov.in) पर उपलब्ध है, से की जाकर विभागीय बजट मद-0040 में जमा करायी जायेगी एवं इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के वाणिज्यिक कर अधिकारी को कर राशि जमा कराने के सात दिवस में आवश्यक रूप से देनी होगी।

उक्त कार्यवाही केवल उन कार्यो के संबंध में ही की जानी हैं, जिन पर सामग्री दिनांक 31.08.2009 तक क्रय करके काम में ली जा चुकी है। इसके पश्चात कोई भी सामग्री की खरीद रजिस्टर्ड फर्म/विक्रेता (RST/CST/TIN holder) से ही की जायेगी।

भविष्य में ऐसी खरीद में इस विभाग के उक्त अंकित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(आर.के.मीणा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री, वन एवं खान विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. आयुक्त, ईजीएस, जयपुर।
7. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद।
10. समस्त परियोजना अधिकारी, लेखा, जिला परिषद।
11. मुख्य लेखाधिकारी, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, जयपुर।
13. समस्त परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
14. समस्त विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति ।
15. रक्षित पत्रावली।

10.1.09

मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्र. : एफ 2 (22) आरडी/नरेगा/06-07 जयपुर, दिनांक : 16.02.2009

परिपत्र

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान के अनुसार राशि रु. 50,000 से अधिक का क्रय खुली निविदा के माध्यम से किया जाएगा। निविदा आमंत्रित करते समय निविदा की आधारभूत शर्तों के प्रारूप एस.आर. 16 (नियम 68. भाग-II) के अनुसार रखी जानी होती है, जिसके बिन्दु संख्या 4 में उल्लेखित है कि:-

4. बिक्री कर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण-पत्रः-कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर चूकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जोगा तथा जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर निविदा की आधारभूत शर्त बिक्री कर पंजीयन एवं बिक्री कर चूकता प्रमाण-पत्र की पालना नहीं की जा रही है जिससे राज्य सरकार को राजस्व क्षति हो रही है अतः निर्देशित किया जाता है कि सामग्री का क्रय करते समय इस शर्त की पालना सुनिश्चित करावें। कार्यादेश की एक प्रति संबंधित वृत्त के वाणिज्य कर अधिकारी आवश्यक रूप से पृष्ठांकित की जावें।

उक्त आदेशों की पालना कड़ाई से सुनिश्चित करावें, ताकि राज्य सरकार को हो रही राजस्व की हानि को रोका जा सके।

डॉ. आर.वेंकटेश्वरन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि :-
1. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
5. आयुक्त वाण्यि कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी अ.शा. टीप दिनांक 12.02.09 क्रम में प्रेषित है।
6. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव (ग्रारो)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक : एफ-4 (32) आरडी/आरई/एनआरईजीपी/ग्रुप-3/07-08 जयपुर, दिनांक : 18.6.200

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान,
बांसवाडा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालौर, जैसलमेर,
झालावाड़, करोली, सिरोही सवाई माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर।

विषयः-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान में सामग्री क्रय करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ है कि सामग्री क्रय कच्चे बिलों पर की जा रही है, जिससे गड़बड़ी हो रही है। आप जानते है कि इस स्कीम में सामाजिक अंकेक्षण जन-भागीदारी एवं पारदर्शिता को अत्याधिक महत्व दिया जाता है। अतः सामग्री की खरीद में कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए आप अपने स्तर पर जिले में की गई सामग्री क्रय की सामग्री की समीक्षा करें एवं सुनिश्चित करें कि सामग्री के क्रय में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हों। सामग्री का क्रय पक्के बिलों पर ही किया जाना चाहिए, जिसमें फर्म के पास TIN नम्बर उपलब्ध हों। सामग्री क्रय की मात्र तकमीने से अधिक नहीं होनी चाहिये।

भवदीय

Sd/-

(सी.पी. गौड़)
परि. निदे. एवं सचिव (ग्रारो)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालौर, जैसलमेर, झालावाड़, करोली, सिरोही माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

Sd/-
परि. निदे. एवं उप सचिव (ग्रारो)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

क्र ई 2(64)/ग्रा.वि/नरेगा/09 जयपुर, दिनांक 27 JUL 2009

परिपत्र

ग्राम पंचायतो द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यो हेतु निर्माण सामग्री कय में आ रही कठिनाइयो के समाधान हेतु तथा वित्तीय अनियमितताओ यथा अपंजीकृत व्यवसायियो से कय करना, खुली निविदा अपनाये बिना खरीद करना, तुलनात्मक रूप से बाजार दर से ऊची दर पर कय करना, राज्य सरकार को करो के रूप में हो रही राजस्व हानि आदि को रोकने हेतु निर्देश दिये जाते है, कि नरेगा कार्यो की निर्माण सामग्री हेतु वर्षभर के लिए दर संवीदा की निविदाएं पंचायत समिति द्वारा आमंत्रित की जाकर उन्हें अंतिम रूप दिया जावेगा एवम् उक्त दर संविदा पंचायत समिति की अधिकारिता वाली सभी ग्राम पंचायतो पर आवश्यक रूप से लागू होगी।

इसके लिए निम्नानुसार प्रकिया अपनायी जावेगी :–

1. सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक(DPC) वर्ष के प्रारम्भ में पंचायत समितिवार कय की जाने वाली सामग्री का आंकलन कर पंचायत समितियो को इस सामग्री कय हेतु दरो के निर्धारण के लिए निर्देश देंगे।
2. पंचायत समिति स्तर से जारी की जाने वाली खुली निविदा का प्रारूप, सामग्री मदो के मानक, निविदा की शर्तो का निर्धारण जिला कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता वाली कय समिति द्वारा किया जाकर पंचायत समितियो को उपलब्ध करवाया जावेगा।
3. प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक सभी पंचायत समितिया सामग्री कय की दरों का निर्धारण कर सम्बंधित ग्राम पंचायतो को सूचित करेगी। सामग्री कय में पारदर्शिता कायम करने की दृष्टि से पंचायत समिति द्वारा दर संवीदा जारी करने से पूर्व इसका अनुमोदन जिला कार्यक्रम समन्वयक से लिया जावेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्राप्त दर संवीदा प्रकरणो पर आवश्यक रूप से सात दिवस में कार्यवाही कर पंचायत समितियो को लौटाया जाना होगा।
4. सभी ग्राम पंचायतें अपनी आवश्यकतानुसार अनुमोदित आपूर्तिकर्ता से निर्धारित विशिष्टता (SPECIFICATIONS) की सामग्री निर्धारित दरो पर कय कर सकेगी। सम्बंन्धित ग्राम पंचायत कय की गई सामग्री की प्राप्ति, साइट के लिए जारी करना तथा मौके पर इस्तेमाल की गई सामग्री आदि का लेखा–जोखा रखेगी।
5. ग्राम पंचायत द्वारा जारी कय आदेश के कम में आपूर्ति की गई सामग्री की स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि तथा ग्राम पंचायत के सरपंच/ वार्ड पंच, कनिष्ठ तकनीकी सहायक (JTA) एवं ग्राम सचिव की स्थानीय समिति के सत्यापन पश्चात ही भुगतान किया जावेगा। स्टाक रजिस्टर में सामग्री की प्रविष्टियों पर तकनीकी सहायक एवं ग्राम सचिव सत्यापन के तौर पर हस्ताक्षर करेंगे।

6. कनिष्ठ तकनीकी सहायक तथा ग्राम सचिव द्वारा मौके पर इस्तेमाल की गई सामग्री तथा स्टाक रजिस्टर में दर्ज सामग्री का 15 दिवस में एक बार मिलान किया जाना होगा। अन्तर की स्थिति में विकास अधिकारी/कार्यकम अधिकारी द्वारा नियमान्तर्गत वांछित कार्यवाही की जावेगी। कार्यकम अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा भी सामग्री के सम्बन्ध में निरीक्षण किये जावेगें।
7. सामग्री की दर वस्तु के क्षेत्रफल, आयतन, भार आदि के निर्धारित मात्रको यथा वर्गमीटर, घनमीटर, मैट्रिक टन आदि में प्राप्त की जावेगी। ग्राम पंचायत द्वारा कय सामग्री का भुगतान अकाउंट–पे–चेक के द्वारा ही किया जावेगा।
8. सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के समय ही सामग्री के बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत किये जावेगें। ग्राम पंचायत द्वारा एक प्रति को कार्यालय उपयोग के लिए तथा दूसरी प्रति को प्रमाणित कर पंचायत समिति को भेजी जावेगी, जिस पर सचिव द्वारा प्रमाण पत्र अंकित किया जावेगा कि बिल में अंकित सामग्री की मात्रा की उनके द्वारा आपूर्ति ली गई है एवं इसकी प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर के पृष्ट संख्या..... .....पर कर दी गयी है। बिल की तृतीय प्रति कार्य पत्रावली(WORK FILE) में रखी जावेगी।
9. वर्ष 2009–10 के लिए दरो का निर्धारण 30 अगस्त 2009 तक हर हालत में पूरा कर लिया जावे। तब तक के लिये वर्तमान व्यवस्था जारी रहेंगी।

भवदीय

(जी.एस.सन्धु)
प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायत राज विभाग।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त जिला कार्यकम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
9. समस्त कार्यकम अधिकारी पंचायत समिति राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी